

तारीख हुक्म	<p>श्री ५५ सोहनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2020/00210</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
21/5/24	<p>पी. ओ. सा. अन्वयता में श्री. योगी इन्द्रका होकर पत्रावली दिनांक 11/6/24 को पत्र हो</p> <p style="text-align: right;"><i>Luks</i></p>	
11/6/24	<p>पत्रावली पत्रा इंडी साथीक नॉरिस की पालना घंटा पत्रावली दिनांक 22/7/24 को पत्र हो</p> <p style="text-align: right;"><i>Luks</i></p> <p style="text-align: center;">अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
22/7/24	<p>पत्रावली पत्रा इंडी वकील प्रार्थी अनु.) वकील प्रार्थी को स्पष्ट हिदायत दी जाती है कि आगामी तारीख पत्रा से पूर्व अप्रार्थी की तलबी हेतु PF नोटिस आवश्यक रूप से पत्रा करें, जो पत्रा लेने पर जारी हो। PF नोटिस पत्रा नही करने की स्थिति में डिफाजुस अप्रीम कार्यवाही अफिल में लार्ड जायेगी। पत्रावली दिनांक 30/7/24 को पत्रा हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Luks</i></p> <p style="text-align: center;">अति. जिला कलेक्टर पाली</p>	
30/7/24	<p>पत्रावली पत्रा इंडी वकील अपीलाण्ट अनु.) वकील अपीलाण्ट को रेसपोण्ड सख्य 1 व 2 की तलबी हेतु सम्मन पत्रा करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अपसर व हिदायत दिये जाने के उपरान्त भी वकील अपीलाण्ट ने आदिनांक तक अप्रार्थी की तलबी हेतु सम्मन पत्रा नही किये हैं। अतः आदेशिका अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मह अपील अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत खारिज की जाती हैं। रिजॉन की सख्य प्रारि के साथ असीनस म्यामालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फॉरमल अप्राएक्चर नम्बर से का हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Luks</i></p> <p style="text-align: center;">अति. जिला कलेक्टर पाली</p>	